

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 985/2019

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 986/2019

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 528/2023

IN THE MATTER OF:

IN RE: WATER POLLUTION BY TANNERIES AT JAJMAU KANPUR
UTTAR PRADESH

WITH

IN RE: WATER POLLUTION AT RANIA KANPUR DEHAT & RAKHI
MANDI KANPUR NAGAR UTTAR PRADESH

WITH

NEWS REPORT PUBLISHED IN DAINIK JAGRAN DATED 14.08.2023
“HIGHLIGHTS A GROWING CONCERN REGARDING INDUSTRIAL
POLLUTION IN THE GODHRAULI VILLAGE”

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	BRIEF REPLY BY THE SPECIAL SECRETARY, MEDICAL, HEALTH AND FAMILY WELFARE,	

	GOVERNMENT OF U.P. IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 07.11.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF MOM DATED 08.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF MOM DATED 31.01.2026 OF THE MEETING DATED 28.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-7838248353

Date: 02.02.2026

Place: Noida

5143

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 985/2019

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 986/2019

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 528/2023



IN THE MATTER OF:

IN RE: WATER POLLUTION BY TANNERIES AT JAJMAU KANPUR
UTTAR PRADESH

WITH

IN RE: WATER POLLUTION AT RANIA KANPUR DEHAT & RAKHI
MANDI KANPUR NAGAR UTTAR PRADESH

WITH

NEWS REPORT PUBLISHED IN DAINIK JAGRAN DATED 14.08.2023
“HIGHLIGHTS A GROWING CONCERN REGARDING INDUSTRIAL
POLLUTION IN THE GODHRAULI VILLAGE”

**BRIEF REPLY BY THE SECRETARY, MEDICAL, HEALTH AND
FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF U.P. IN COMPLIANCE OF**



**ORDER DATED 07.11.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

I, Dhirendra Singh Sachan, aged about 56 years S/O Late Shri Sewa Lal Sachan, presently posted as Special Secretary, Medical, Health and Family Welfare, U.P. do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present affidavit.
2. That I state that the contents of this affidavit have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

BACKGROUND OF THE MATTER

3. The Hon'ble Tribunal, in these Original Applications, is examining the issues pertaining to the chromium dumps, groundwater contamination and health issues pursuant thereto in the districts Kanpur Nagar, Kanpur Dehat and Fatehpur.
4. That, the matter was last listed for hearing on 25.11.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed the following:



"13. The Learned Counsel for the State of U.P and Learned Amicus Curiae are granted 03 weeks' time to place on record the further affidavit keeping in view the observations made above.

14. List on 03.02.2026."

REPLY IS AS FOLLOWS

I. CLUSTER BASED SAMPLE SURVEY/RE-SURVEY

5. That, in compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal as well as the expert recommendations of the learned Director, AIIMS, New Delhi, a meeting was convened at GSVM Medical College, Kanpur on 08.01.2026 in the presence of representatives of the Medical College and the Chief Medical Officers of the three districts, wherein the SOP/Proposal for conducting Phase-1 of the cluster-based blood sample survey across the said districts were finalized.

A copy of MOM dated 08.01.2026 is annexed herewith and marked as *Annexure-1*.

6. That, the current status of Re-Sampling/Survey in the three districts is as follows:



District	Samples Proposed Under Phase-1	Samples Collected	Test Reports Received	Persons with Heavy Metals Above Standard Level
Kanpur Nagar	1020	586	233	Chromium- 215 Chromium and Mercury- 04 Chromium and Lead- 10
Kanpur Dehat	600	224	104	Chromium- 101 Chromium and Mercury- 2
Fatehpur	600	568	Awaited	Awaited
	2220	1378	337	332

**Sampling for heavy metals and obtaining reports is a continuous and ongoing activity at present.*

7. That, a meeting was convened at GSVM Medical College, Kanpur on **28.01.2026**, in the presence of representatives of the Medical College and the Chief Medical Officers of the three districts, wherein the SOP for conducting Phase-2 of the cluster-based blood sample survey across the said districts was finalized.

A copy of MOM dated 31.01.2026 of the meeting dated 28.01.2026 is annexed herewith and marked as *Annexure-2*.

8. That, in the aforesaid meeting, it was decided that Phase-2 of the survey shall be conducted in accordance with the SOP followed in Phase-1 and shall be concluded within **one year** of the completion of Phase-1. It was



further resolved that the number and location of clusters/samples for Phase-2 shall be identified based on the test results obtained from Phase-1.


II. HEALTH CAMPS ORGANIZED IN THE AFFECTED AREAS

9. That it is most respectfully submitted that in the affected areas of the three districts, a total of 26 health camps were organized during the month of January, 2026, wherein 1,173 patients were screened. The details thereof are as follows:

District	Health Camps Organized	Patients Screened
Kanpur Nagar	10	713
Kanpur Dehat	08	278
Fatehpur	08	182
Total	26	1173

III. ESTABLISHMENT OF LABORATORY FOR TESTING HEAVY METALS (CHROMIUM AND MERCURY)- RELATED TO RECOMMENDATIONS NO. 3 AND 14 PROVIDED BY THE LEARNED AMICUS CURIAE

10. That the Principal, GSVM Medical College has informed that the Medical College has sufficient space for the establishment of a heavy metals testing




laboratory. Further proceedings for establishment of laboratory are under process.

11. That, the deponent is duty bound to fulfil the obligations which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal without demur or delay.

12. Hence, this brief reply is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

13. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Lucknow on this 2nd day of February, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 13 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT

कूपन सं०...D.202583

द्वारा शपथ की गई श्री. धीरेंद्र सिंह सचान, विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
जिनका परिचय श्री. अरजुन प्रकाश सिंह, समीक्षा अधिकारी।
दिनांक 02/02/26 समय 2.15 P.M.

वाद संख्या... 985/2019

पक्षकार Water Pollution By Tanneries At Jajmau Kanpur U.P. Versus Central Pollution
न्यायालय... मा.० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली। Central Board and oth.

की फीस वसूल गई

I IDENTIFY THE DEPONENT
WHO HAS SIGNED BEFORE ME
अरजुन प्रकाश सिंह, समीक्षा अधिकारी
अध्यापक प्रमाण पत्रका
02/02/2026
आपका अनुभव एवं अनुमान अधिनियम
यार अनुभाग-6
रूपका साक्षात्।



कार्यालय: विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।
संख्या: 1081/मेडिसिन/2026 दिनांक: 08-01-2026

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज,
कानपुर।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-985/2019 (आई०ए० सं०-568/2024) In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau Kanpur Uttar Pradesh With Original Application No. 986/2019 and Water Pollution at Rania Kanpur Dehat & Rakhi Mandi Kanpur Nagar Uttar Pradesh with Original Application No-528/2023 News report published in Daink Jagran Date 14-08-2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli Village District Fatehpur with Original Application No.934/2024 Rajat Verma versus Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board & Or." के सम्बन्ध में।

महोदय,

जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्रांक 123/एस.टी./2025 दिनांक: 29.11.2025 एवं आपके कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या- 3495 दिनांक: 29.11.2025 के अनुपालन में आज दिनांक: 08.01.2026 को मेडिसिन विभाग, जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर में बैठक आहूत की गई। जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रस्ताव हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गयी जो निम्नवत है:-

1-Clusterwise Sample Survey का प्रस्ताव मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, कानपुर नगर/कानपुर देहात एवं फतेहपुर द्वारा प्रेषित किया जायेगा जो कि एम्स; नई दिल्ली के मार्गदर्शन में बनाया जायेगा साथ ही सर्वे के लिए अनुमानित व्यय भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात एवं फतेहपुर द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

2-सर्वे कानपुर नगर/कानपुर देहात एवं फतेहपुर के चिन्हित प्रभावी क्षेत्र में कराया जायेगा, हर क्षेत्र से 05 मोहल्ले और हर मोहल्ले से 30 घरों में रहने वाले 05 वर्ष से कम आयु एवं 18 वर्ष से ज्यादा आयु वाले व्यक्तियों के खून में हैवी मेटल उपस्थिति की जांच हेतु ब्लड सैम्पल लिया जायेगा एवं एम्स द्वारा बनाया गया प्रोफार्मा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर /कानपुर देहात एवं फतेहपुर कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा भरा जायेगा। मेडिकल कालेज, कानपुर/ कानपुर देहात एवं फतेहपुर के डाक्टरों द्वारा सर्वे में सहायता प्रदान की जायेगी।

3-इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर/ कानपुर देहात एवं फतेहपुर के द्वारा हेल्थ कैम्प का भी आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रभावित लोगों का क्लीनिकल असेसमेंट मेडिकल कालेज कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं फतेहपुर के डाक्टरों द्वारा किया जायेगा। इस कैम्प में औषधियों का वितरण एवं मरीजों में जागरूकता का कार्य भी किया जायेगा।

4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर/ कानपुर देहात एवं फतेहपुर के द्वारा जिन मरीजों में हैवी मेटल खून की जांच में पाया जायेगा उनका क्लीनिकल परीक्षण एवं सामान्य जांच करने के उपरान्त गंभीर मरीजों को चिन्हित कर मेडिकल कालेज, कानपुर नगर की मेडिसिन ओ०पी०डी० नम्बर 06 में मंगलवार एवं शुक्रवार को भेजा जायेगा।



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

5-इसके लिए इन मरीजों के रेफरल 5450 लाल/गुलाबी रंग से कलर कोड एवं रेफरल स्टैम्प लगाकर भेजा जायेगा एवं वाहटसएप ग्रुप पर भी इसकी जानकारी प्रदान की जायेगी।

6-रिफर हुए मरीजों का उपचार एवं फालोअप मेडिकल कालेज, कानपुर में ही किया जायेगा।

7-ब्लड सैम्पल की जांच वर्तमान में डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान, लखनऊ द्वारा किया जा रहा है। भविष्य में विषय की गंभीरता को संज्ञान में रखते हुए मेडिकल कालेज, कानपुर में पैथोलॉजी विभाग द्वारा हैवी मेटल टेस्टिंग मशीन की सुविधा के लिए प्रस्ताव भी बनाकर भेजा जायेगा, जिससे भविष्य में यह जांच जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, के स्तर से भी हो जाये।

8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर/ कानुपर देहात एवं फतेहपुर के द्वारा सर्वे के लिए बजट जिसमें कैम्प के आयोजन IEC मटेरियल और एम्स की टीम का टी0ए0/डी0एस0 एवं सैम्पलिंग खर्च एवं औषधियों इत्यादि खर्च का बजट स्वास्थ्य भवन डी0जी0एच0एस0, लखनऊ को भेजा जा चुका है/भेजा जायेगा।

- समस्त सर्वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर/ कानुपर देहात एवं फतेहपुर द्वारा जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर/ कानुपर देहात एवं फतेहपुर से समन्वय स्थापित करके कराया जायेगा एवं मेडिकल कालेज से तकनीकी सहायता एम्स, नई दिल्ली की टीम द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त किया जयोगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर एवं जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर/मेडिकल कालेज, कानपुर देहात एवं मेडिकल कालेज, फतेहपुर द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए समय-समय पर सर्वे की मॉनीटरिंग की जायेगी।
- समस्त सर्वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर/ कानुपर देहात एवं फतेहपुर द्वारा एम्स, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश में किया जायेगा तथा समय-समय पर एम्स नई दिल्ली की टीम द्वारा सर्वे की मॉनीटरिंग भी की जायेगी।

9-उपरोक्त सभी कार्ययोजना जिला-कानपुर नगर/कानुपर देहात एवं फतेहपुर के संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मेडिकल कालेज में समन्वय स्थापित करते हुए लागू करना उचित होगा।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 योगेन्द्र नारायण वर्मा)

सह आचार्य, पैथोलॉजी विभाग,
सदस्य अनुसंधान/अध्ययन समिति
जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज,
कानपुर।

(डा0 सौरभ त्रिपाठी)

सहा0 आचार्य कम्यु0मेडि0 विभाग
सदस्य अनुसंधान/अध्ययन समिति
जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज,
कानपुर।

(डा0 मधु यादव)

सह आचार्य, माइक्रोबायोलॉजी विभाग
सदस्य अनुसंधान/अध्ययन समिति
जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज,
कानपुर।

(श्री सौरभ हैरिस)

जे0आर0एफ0, यू0पी0पी0सी0वी,
कानपुर नगर।

(डा0 एस0पी0 यादव)

डिप्टी सी0एम0ओ0/एन0जी0डी0 नोडल
कानपुर नगर।

(श्री कमल अमीन अंसारी)

डिस्टिक अर्बन हेल्थ कार्डिनोटर,
कानपुर नगर।

(डा0 बी0पी0 त्रिपाठी)

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,
अध्यक्ष अनुसंधान/अध्ययन समिति
जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज,



संख्या: 1081/2026 तद्दिनांक: 8/1/2026

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—जिलाधिकारी, कानपुर देहात एवं फतेहपुर।

2—मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर देहात एवं फतेहपुर।



X.I.F.
02/02/2026
अफजल इमाम फारुक
शयख-आयुक्त एवं अनुमान अधिकारी
न्याय अनुभाग-6
काठमान्डू।

कार्यालय: विभाग अध्यक्ष, चिकित्सा विभाग, जी०एस०वी०एम० मेडिकल अध्यापक, कानपुर।

संख्या 2059/मेडिसिन/2026

दिनांक 31-01-2026

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज,
कानपुर।

16.54
31/01/26

महोदय,

मण्डलायुक्त महोदय, कानपुर मण्डल, कानपुर की अध्यक्षता में दिनांक 13-01-2026 को हुई जूम मीटिंग में जिला-कानपुर नगर/कानपुर देहात/फतेहपुर में हैवी मेटल के गैर प्रभावित (Non&affected Area) क्षेत्रों में सर्वे/जांच हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में दिनांक 28-01-2026 को मध्याह्न 12:00 बजे को मेडिसिन विभाग, जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर में बैठक आहूत की गई। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गयी जो निम्नवत है:-

- 1- फेस-2 (Non&affected Area) की सभी कार्ययोजना फेस 1 (Affected Area) की तरह संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मेडिकल कॉलेज में समन्वय स्थापित करते हुए किया जायेगा।
- 2-सर्वे सैम्पलिंग मैथेडोलॉजी एवं प्रोफार्मा एम्स न्यू दिल्ली द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार फेसवाइस किया जायेगा।
- 3-उपरोक्त प्रोफार्मा हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय कानपुर नगर द्वारा एम्स न्यू दिल्ली से समन्वय स्थापित करते हुए दिशा-निर्देश हेतु अनुरोध किया जायेगा।
- 4- उपरोक्त सभी कार्य हेतु (याहन, सैम्पलिंग खर्च, स्टेशनरी, अल्पाहार एवं कैम्प से संबंधित इत्यादि खर्च) बजट संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा स्वास्थ्य भवन डी०जी०एच० एस० लखनऊ को प्रेषित किया जायेगा। बजट प्राप्त होने के उपरान्त सर्वे आरम्भ किया जायगा।
- 5- फेस-2 (Non&affected Area) की सर्वे/सैम्पलिंग लगभग एक वर्ष में पूर्ण करना उचित होगा।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० योगेन्द्र नारायण वर्मा)
सह आचार्य, पैथोलॉजी विभाग,
सदस्य अनुसंधान/अध्ययन समिति
जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।

(डा० सौरभ त्रिपाठी)
सहाय आचार्य, कम्प्यु. मेडि० विभाग,
सदस्य अनुसंधान/अध्ययन समिति
जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।

(डा० मधु यादव)
सह आचार्य, माइक्रोबायोलॉजी विभाग,
सदस्य अनुसंधान/अध्ययन समिति
जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।

(डा० विमलेश कुमार)
डिप्टी सी०एम०ओ०/एन०जी०टी० नोडल,
फतेहपुर।

(डा० एम०पी० यादव)
डिप्टी सी०एम०ओ०/एन०जी०टी० नोडल,
कानपुर नगर।

(डा० आशीष बाजपेई)
डिप्टी सी०एम०ओ०/एन०जी०टी० नोडल,
कानपुर देहात।

(श्री कमरुल अमीन अंसारी)
डिस्ट्रिक्ट अर्बन हेल्थ कोर्डिनेटर,
कानपुर नगर।

(डा० बी०पी० प्रियदर्शी)
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,
अध्यक्ष अनुसंधान/अध्ययन समिति
जी०एस०वी०एम० मेडिकल कॉलेज, कानपुर।

संख्या /मेडिसिन/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं फतेहपुर।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, एवं फतेहपुर।



Scanned with OKEN Scanner

अफजल इमाम फारूक
रमय-आयुक्त एवं अनुनाम अधिकारी
न्याय अनुभाग-6
2026 ससन।